ज्ञांक सं0–14/डी0एल0ए0 जमुई (एस0 एच0–08)–14/12–3042/रा0 पटना, दिनांक– 24/12/2012 (18)

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

पटना दिनांक

एस0ओ0

रा0–चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मौजा–बेला, थाना नं0–52, थाना–सिकन्दरा, जिला–जमुई में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात राज्य उच्च पथ संख्या–08 में सिकन्दरा से आढा के बीच नाटी नदी (आढा) पर बन रहे नव निर्मित पुल के लिए एप्रोच निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इनके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा–बेला, थाना नं0–52, थाना–सिकन्दरा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा है, जो मानक माप से कमोवेश ....बीघा ....कट्ठा...........धूर हैं, जो 0.415 एकड़ के बराबर होता है,जिसका खेसरा संख्या–476(अंश), 477(अंश), 494(अंश), 499(अंश), 500(अंश), 836(अंश) एवं 837(अंश) है तथा इस भू–खंड की चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

खेसरा संख्या	उत्तर	पुरब	दक्षिण	पश्चिम
476(अंश)	477	476	सड़क	477
477(अंश)	477	476	सड़क	499
494(अंश)	494	500	सड़क	493
499(अंश)	499	476	सड़क	500
500(अंश)	500	499	सड़क	494
836(अंश)	836	नाटी नदी	सड़क	837
837(अंश)	837	836	सड़क	2230(मौजा–आढ़ा)

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खान की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें कार्य के लिए अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपभोग में लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेंगे।

यह घोषणा अधिनियम–1.1994 की धारा–8 तथा संबंधित बिहार अधिनियम, 11 सन् 1961 द्वारा और अधिनियम–18, 1885 की धारा–3 के खंड–1 में उपबंधी के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं, जिनका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जमुई और उसके स्टाफ तथा इस परियोजना के आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे अधियाची विभाग के स्टाफ को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर तथा उक्त अधिनियम द्वारा–4 की उपधारा (2) में यथाबंधित या यथा विनिर्दिष्ट आने कार्य के उक्त भूमि बन्जर/कृषि योग्य है तथा उसका तुरंत अर्जन आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा–17 की उप धारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा–5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जमुई — अपर समाहर्त्ता, जमुई — समाहर्त्ता, जमुई — आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर — सरकार के अवर सचिव

कृ0पृ0उ0

ज्ञा0 सं0–14/डी0एल0ए0 जमुई (एस0 एच0–08)–14/12–3042/रा0 पटना, दिनांक–24/12/2012

ज्ञाप संख्या /रा0 दिनांक

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रारूप की तीन प्रतियाँ (सी0डी0 के साथ) दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशित करने एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जमुई को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रभारी उप समाहर्त्ता, सामान्य शाखा, समाहरणालय, जमुई को जिला गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं प्रकाशित जिला गजट की पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव